स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

फा. सं. 56/प्रतीक/2015/पीपीएस-II/खण्ड-V

दिनांक : 27 जुलाई, 2015

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
बिहार
पटना ।

विषय: बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2015 - पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए जाने वाले/गए अभ्यर्थियों को छूट देना - निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के अंतर्गत एक समान प्रतीक का आबंटन - तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल से प्राप्त, बिहार विधान सभा के आगामी साधारण निर्वाचन में खड़े किए जाने वाले उसके अभ्यर्थियों के लिए एक समान प्रतीक के आबंटन में छूट देने संबंधी उसका आवेदन आयोग द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। तदनुसार, आयोग ने बिहार विधान सभा के आगामी साधारण निर्वाचन में उक्त दल के अभ्यर्थियों के लिए नीचे यथा-उल्लिखित निर्वाचन-क्षेत्रों में पैरा 10ख के अंतर्गत मांगी गई छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है:-

क्र.सं.	दल का नाम	निर्वाचन (नों) के नाम	विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	आबंटित एक समान प्रतीक
1	नेशनल जनता पार्टी (इण्डियन)	बिहार विधान सभा, 2015	बिहार राज्य में सभी 243 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में	सिलाई की मशीन (Sewing machine)

2. रिटर्निंग अधिकारियों को निदेश दिए जाएं कि उपरोक्त पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को ऊपर उल्लिखित एकसमान प्रतीक आबंटित किया जाए बशर्ते उक्त दल द्वारा अभ्यर्थियों को खड़े करने से संबंधित निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 के उपबंधों की पूर्ति की गई है। यह भी नोट किया जाए कि ऊपर उल्लिखित राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों को आबंटित उक्त एक समान प्रतीक भूलवश इन निर्वाचन-क्षेत्रों में किन्हीं अन्य अभ्यर्थियों को आबंटित न कर दिया जाए। हालांकि, उक्त प्रतीक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में अन्य अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीक के रूप में आबंटित किए जाने हेतु उपलब्ध होगा जिनमें उपरोक्त दल वास्तव में अपने अभ्यर्थी खड़े नहीं करता है।

3. उपर्युक्त दल द्वारा अभ्यर्थियों की न्यूनतम संख्या की अपेक्षा जैसाकि उक्त प्रतीक आदेश, 1968 के पैरा 10ख में विहित है, अर्थात् विधान सभा निर्वाचन की दशा में संबंधित राज्य में विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल संख्या का 5%, पूरी नहीं करने की दशा में, उक्त एक समान प्रतीक उसके अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
सचिव

प्रति प्रेषित:-

क्र.सं.	दल का नाम	अनुदेश
1.	अध्यक्ष, नेशनल जनता पार्टी (इण्डियन) प्लॉट न. – 385, खाता न.– 105, गॉव– मोहम्मद पुर हारी, पोस्ट व थाना– भगवानपुर, जिला– वैशाली, बिहार–844114.	यह सूचित किया जाता है कि दल और अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 के प्रत्येक उपबंध का अवश्य पालन करना चाहिए।

2. प्रधान सचिव (आर के एस)
3. पूर्व अनुभाग
4. गार्ड फाइल